तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/11/25	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील ने एक इजराय प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 21 नियम 11 सीपीसी इस आशय का पेश किया है कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, सवाई माधोपुर के पीठासीन अधिकारी हरिरामजी मीना आर. ए. एस. अपीनी नम्बरी राजस्व संख्या 43/2020 जी. सी. एम. एस. संख्या 2020/00076 निर्णय दिनांक 12–12–2022 रामस्वरूप बनाम कैलाश वगैराह में यह निर्णय पारित किया था कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा निर्णय दिनांक 30–07–2014 को अपास्त किया जाता है और रेस्पोडेन्टमग को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा ते पावन्द किया जाता है कि अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 677 वाके ग्राम आदलवाडाकला तहसील चौथ का बरवाडा में अपीलान्ट के कब्जे काश्त में न तो स्वयं, ना ही अन्य किसी से दाखलन्दाजी करावे। श्रीमानजी के निर्णय दिनांक 12–12–2022 की अप्रार्थीगा चुले आम अवहेलना कर रहे हैं और अप्रार्थीगगों ने 2 मीटर चौडा व 36 मीटर लम्बा कुल २०० रेयर अतिक्रमण नहीं हटाया है और 6 मीटर पक्का निर्माण भी नहीं हटाया है और अप्रार्थीगणों ने 6 मीटर चौडा तथा 36 मीटर लम्बा अतिक्रमण और कर लिया है जो कुल मिलाकर 12 फिट चौडा व 36 मीटर लम्बा अतिक्रमण हो गया है और अप्रार्थीगण पक्का निर्माण कर रहे है और प्रार्थी के खेत में अन्दर आने जाने का रास्ता बन्द कर दिया है और फसल नहीं बोने दे रहे हैं और प्रार्थी का खेत तथा मकान लेट–याथ व अमरूदों का बगीचा लगा हुआ है। इस प्रकार से प्रार्थी को मजबूर होकर अप्रार्थी गगों के विरूद्ध डिक्री के निष्पादन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड रहा है। उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा	उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.19 10:49:17 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर में जारी हुए
	अतः श्रीमानजी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण कैलाश, विलास, भरतलाल, रूपचन्द के विरूद्ध डिक्री के निष्पादन का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय की पालना अप्रार्थीगगों से प्रार्थी की जमीन पर किये गये अतिक्रमण को हटवाकर करवाई जावे, अन्य या अप्रार्थीगगों द्वारा निर्णय की पालना नहीं करने के अपराध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 नियम 37 व 38 के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तारी और सिविल कारावास में निरोभू करने के आदेश पारित करने की कृपा करें। उनवानी प्रकरण में तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने अपने पत्रांक भू0अ0 / 2024 / 1421 दिनांक 09.07.2024 द्वारा अवगत कराया है कि उनवानी प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा जारी डिकी दिनांक 12.12.2022 की पालना की जा चुकी है। चूंकि उनवानी प्रकरण में माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा जारी डिकी दिनांक 12.12.2022 की पालना तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा द्वारा की जा चुकी है। अतः प्रकरण में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः पत्रावली ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.19 10:49:17 IST
Reason: SelfAttested